न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां
(जिला–जोधपुर)

पीठासीन अधिकारी श्री रतनलाल रेगर, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः–166/2018

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादीगण**

1. लिखमाराम पुत्र मगाराम
2. राजुराम पुत्र मगाराम
3. रामचन्द्र पुत्र मगाराम
4. पप्पुराम पुत्र मगाराम
5. भोमाराम पुत्र बाबुराम
6. श्रवणराम पुत्र बाबुराम

जातियान दर्जी निवासी बारा खुर्द
तहसील ओसियां, जिला जोधपुर

बनाम

1. गजाराम पुत्र नेनाराम
2. नारायणराम पुत्र नेनाराम
3. सोनाराम पुत्र नेनाराम फौत के का.मु.
   3/1 हंसराज पुत्र सोनाराम
   3/2 राजुराम पुत्र सोनाराम
4. चेतनराम पुत्र नेनाराम फौत के का.मु.
   4/1 इन्द्रदेवी पत्नी चेतनराम
5. रामेश्वर पुत्र प्रतापराम
6. मुलाराम पुत्र प्रतापराम
7. मुन्नाराम पुत्र प्रतापराम

जातियान दर्जी निवासी बारा खुर्द

8. श्रीमान् तहसीलदार, ओसियां

वादीगण अधिवक्ताः– श्री राजेश खीचड़

प्रतिवादीगण अधिवक्ताः– श्री राजेन्द्र कुमार चौधरी

–::निर्णय::–

दिनांकः–26/3/2019

वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम व धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार [illegible] ग्राम बारा खुर्द के खसरा नम्बर 231/1 [illegible] व खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.08 11:37:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर ओसियां

Scanned by CamScanner

2

...बा 03 बीघा 08 बिस्वा आई हुई है। जिस पर वादीगण का कब्जा काश्त चला
...आ रहा है। प्रतिवादीगण ने अपने हक हिस्से की भूमि दिनांक 09.08.1977 को
...उप पंजीयक अधिकारी ओसियां के समक्ष बेचान नामा के जरिये राजेन्द्रसिंह पुत्र
...श्री रूपसिंह जाति राजपूत को अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि का बेचान कर दिया
...जो पुस्तक सख्या 1 जिल्द संख्या 32 पृष्ठ संख्या 121 से 123 क्रम संख्या 369
...पर दिनांक 09.08.1977 को पंजीबद्ध है। इस बेचान नामा के जरिये खरीददार
राजेन्द्रसिंह पुत्र श्री रूपसिंह के नाम नामान्तरकरण संख्या 216 स्वीकृत होकर
राजेन्द्रसिंह का नाम जमाबन्दी संवत् 2037 से 2040 में नाम दर्ज हो गया जिसमें
वादीगण के पिता का नाम बतौर खातेदार दर्ज था तथा इसी जमाबन्दी में
प्रतिवादीगण द्वारा बेचान करने के पश्चात् खातेदार राजेन्द्रसिंह पुत्र श्री रूपसिंह
वली रूपसिंह पुत्र खेतसिंह राजपूत के नाम दर्ज है। इस सम्वत की जमाबन्दी में
प्रतिवादीगण व प्रतिवादीगण के पिता के नाम जमाबन्दी में इन्द्राज नहीं है।
राजेन्द्रसिंह ने दिनांक 31.10.1988 को अपनी खरीद सुदा सम्पूर्ण भूमि का बेचान
हेमसिंह पुत्र श्री गोरधनसिंह वगैरा को कर दिया जिसका नामान्तरकरण संख्या
347 स्वीकृत होकर राजस्व रेकर्ड में खसरा नम्बर 231/4 अलग से दर्ज होकर
हेमसिंह पुत्र श्री गोरधनसिंह वगैरा के नाम से वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज है।
वादीगण की खातेदारी भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा अपने हक हिस्से की सम्पूर्ण भूमि
का बेचान करने के बावजूद राजस्व कर्मचारियों की भूलवंश राजस्व रेकर्ड में ना...
पुनः दर्ज हो गया। परन्तु वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का ही कब्जा काश्त है...
वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादीगण का कोई हक हिस्सा नहीं है न ही प्रतिवादीगण ...
मौके पर किसी प्रकार से कब्जा काश्त है। मात्र राजस्व कर्मचारियों की भूल...
प्रतिवादीगण का नाम पुनः दर्ज हो गया है। प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 09.08.19...
को निष्पादित बेचान नामा, राजेन्द्रसिंह के नाम स्वीकृत नामान्तरकरण सं...
2016 व जमाबन्दी संवत् 2037 से 2040 से भी स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण
वादग्रस्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं है। इस प्रकार वादीगण को वादग्रस्त
के राजस्व रेकर्ड से प्रतिवादीगण का हटवाकर खातेदार काश्तकार घोषित हो
अधिकारी है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि उनका नाम दर्ज
बाबत् कहा तो प्रतिवादीगण ने कहा राज... ...चारियों की भूलवश हमारा

सहायक कलेक्टर, ओसियां

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.08 11:37:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

दर्ज हो गया है। जिसे हम हटवा देंगे। परन्तु अभी हाल ही में दिनांक 27.10. को वादीगण ने प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में गलत से दर्ज नाम को हटवाने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने नाम हटवाने से साफ कार कर दिया तथा वादीगण को कहा कि राजस्व रेकर्ड में हमारा नाम दर्ज है इस भूमि का बेचान करेंगे तथा वादीगण को एलानिया बेदखली की धमकी वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि है। जिसके वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दीगण के साथ प्रतिवादीगण का दर्ज है जो भूलवश दर्ज हो रखा है जबकि तिवादीगण ने अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि का बेचान कर रखा है। उपरोक्त थ्यों एवं परिस्थितियों अनुसार प्रथम दृष्टया वादीगण के पक्ष में बेखुबी प्रमाणित है तथा सुविधा का संतुलन भी वादीगण के पक्ष में बनता है तथा प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज रहने से अपूर्णीय क्षति भी निश्चित तौर से वादीगण को ही हो रही है। वाद कारण दिनांक 27.10.2018 को उस वक्त पैदा हुआ जब वादीगण ने प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से दर्ज नाम को हटवाने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने नाम हटवाने से साफ इन्कार कर दिया तथा वादीगण को कहा कि राजस्व रेकर्ड में हमारा नाम दर्ज है हम इस भूमि का बेचान करेंगे तथा वादीगण को एलानिया बेदखली की धमकी देने पर उत्पन्न हुआ। वादीगण वादग्रस्त भूमि 231/1 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा व खसरा नम्बर 231/2 रकबा 03 बीघा 08 ग्राम बारा खुर्द तहसील ओसियां के राजस्व रेकर्ड से प्रतिवादीगण के नाम हटाये जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकारी घोषणा हेतुं इस्तदुआ चाही। वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये।

प्रतिवादीगण की ओर से श्री राजेन्द्र कुमार चौधरी ने वकालात नामा पेश किया तथा प्रतिवादीगण की ओर से शपथ पत्र प्रस्तुत कर गलत तरीके से राजस्व रेकर्ड में दर्ज नाम को हटाने हेतु सहमति जाहिर की।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा विद्व अधिवक्ताओं की बहस सुनने के पश्चात वादीगण का वाद पत्र स्वीकार योग्य है

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.08 11:37:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिया जाता है खसरा नम्बर 231/1 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा व खसरा नम्बर 231/2 रबा 03 बीघा 08 बिस्वा मौजा ग्राम बारा खुर्द तहसील ओसियां के राजस्व र्ड में प्रतिवादीगण का भूलवश दर्ज किये गये नाम हटाये जाने का आदेश या जाता है। पालना हेतु तहसीलदार ओसियां को तहरीर जारी हो। पत्रावली सल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

निर्णय सरे इजलास दिनांक 26/3/2019 को सुनाया गया।

सहायक कलक्टर ए
उपखण्ड अधिकारी, ओसि

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.08 11:37:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner